दूरभाष नं0 कार्यालय : 2716609
फैक्स : 2716603

उत्तर प्रदेश वन निगम

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016

संख्या ए– 8774 / फण्ड विनियोजन दिनांक 02 जनवरी,2018

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

(लखनऊ स्थित बैंकों हेतु)

विषयः– फण्ड निवेश हेतु बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 वन निगम के उपलब्ध फण्ड को बैंक की उच्च ब्याज दरों की जमा योजनाओं 'फिक्स डिपाजिट(त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर)' पर **एक वर्ष** हेतु निवेश किया जाना हैः–

क0सं0	बैंकों को फण्ड उपलब्ध कराये जाने की तिथि	निवेश हेतु उपलब्ध धनराशि (रूपये में)	बैंकों से ब्याज दरों के प्रस्ताव को इस कार्यालय में प्राप्ति की तिथि व समय	बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को खोले जाने की तिथि व समय
1	06.01.2018	6,32,92,529.00	05.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक	05.01.2018 को अपरान्ह 12.45 बजे
2	16.01.2018	13,59,46,310.00	15.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक	15.01.2018 को अपरान्ह 12.45 बजे
3	18.01.2018	28,35,52,563.00	17.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक	17.01.2018 को अपरान्ह 12.45 बजे
4	30.01.2018	9,27,03,305.82	29.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक	29.01.2018 को अपरान्ह 12.45 बजे
	महायोगः–	**57,54,94,707.82**		

केवल राष्ट्रीयकृत बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रायोजित बैंक कृपया संलग्नक प्रारूप में सावधि जमा योजना के अर्न्तगत उच्चतम/विशेष ब्याज दरें प्रेषित करने का कष्ट करें। ब्याज दरों को बन्द लिफाफे में, जो कि '**प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ**' के नाम से सम्बोधित होना चाहिये, को इस कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता के कक्ष में फण्ड निवेश हेतु रखे गये मोहरबन्द बाक्स में डालने का कष्ट करें। यदि बैंकों द्वारा एक समान ब्याज दर दी जाती है, तो समिति द्वारा समान ब्याज दरदाता बैंकों से उसी समय पुनः उच्च ब्याज दरें माँगी जायेगी।

बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को उसी दिन अपरान्ह 12.45 पर समिति द्वारा बैंक प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। सम्बन्धित बैंकों के शाखा प्रबन्धक कृपया अपने साथ बैंक का लेटरपैड एवं मोहर इत्यादि लेकर उपस्थित होने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 वन निगम के बैंक में जमा धन से प्राप्त ब्याज पर आयकर की कटौती न किये जाने के प्राविधान है। अतः इस धनराशि पर आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती नही की जायेगी। आर0टी0जी0एस0 हेतु कृपया निम्न विवरण स्पष्ट अक्षरों में अवश्य प्रेषित करें, जिसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

सुश्री मीमांसा राठौर

(क्रमशः पृष्ठ सं0 2)

1- NAME OF BENEFECIARY -
2- A/C No. -
3- TYPE OF A/C. -
4- IFSC CODE NO. -
5- NAME OF BANK & BRANCH -
6- MOBILE NO. OF BRANCH MANAGER -
7- BASIC PHONE NO. OF BRANCH -
8- E-Mail address of Branch -

संलग्न प्रारूप

भवदीय

{ दीप चन्द्र }
मुख्य लेखाधिकारी
एवं
वित्तीय परामर्शदाता

(मूल में नहीं)

संख्या ए (1)/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाप्रबन्धक(कार्मिक)/महाप्रबन्धक(विपणन) एवं महाप्रबन्धक(उत्पादन), उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।

2– विकय अधिकारी (सिस्टम), उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे तत्काल उ0प्र0 वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

{ दीप चन्द्र }
मुख्य लेखाधिकारी
एवं
वित्तीय परामर्शदाता

Saurabh Mishra/Khanduri Sir/Fund Viniyojan

प्रारूप

अवधि	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)	ब्याज दर (क्वाटरली कम्पाउन्ड)
	रू0 1.00 करोड़ से कम हेतु	रू0 01.00 करोड़ से रू0 05.00 करोड़ तक	रू0 05.00 करोड़ से रू0 10.00 करोड़ तक	रू0 10.00 करोड़ से रू0 15.00 करोड़ तक	रू0 15.00 करोड़ से रू0 20.00 करोड़ तक	रू0 20.00 करोड़ से रू0 25.00 करोड़ तक	रू0 25.00 करोड़ से रू0 100. 00 करोड़ तक
एक वर्ष							
प्रीमेच्योर पेनाल्टी यदि कोई हो तथा कटौती दर की शर्तें							

आवश्यकः— कृपया एफ0डी0आर0 बनवाने हेतु निम्न के सम्बन्ध में विवरण अवश्य दें। यदि आप द्वारा उक्त सूचनाएं नहीं दी जायेंगी, तो आपका प्रस्ताव अमान्य कर दिया जायेगा।

1— परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान लेने पर क्या शर्तें होगी?

2— क्या प्रीमेच्योर भुगतान लेने पर ब्याज दर में कोई कटौती होगी अथवा नहीं, स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

3— प्रीमेच्योर भुगतान लेने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

4— एक दिन में कुल कितने एफ0डी0 बन सकते हैं। इसमें अलग—अलग अवधि के एफ0डी0, धनराशि एवं ब्याज दर का कोई प्रतिबन्ध तो नहीं होगा। कृपया स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।

5— कोई अन्य शर्त हो तो, कृपया इसका भी उल्लेख करें। आप द्वारा उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त यदि एफ0डी0आर0 बनाते समय कोई अन्य शर्त लगाई जाती है, तो वह मान्य नहीं होगी एवं आपका प्रस्ताव अमान्य कर दिया जायेगा।

6— आर0टी0जी0एस0 की पूर्ण डिटेल मो0नं0 / बेसिक नं0 सहित अवश्य लिखें।

'RTGS' हेतु कृपया स्पष्ट अक्षरों में निम्न विवरण अवश्य दें:—

1- NAME OF BENIFECIARY -
2- A/C No. -
3- TYPE OF A/C No. -
4- IFSC CODE No. -
5- NAME OF BANK & BRANCH -
6- MOBILE NO. OF BRANCH MANAGER -
7- BASIC PH. NO. OF MANAGER/BRANCH -